रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062020-219899
CG-DL-E-12062020-219899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2020/ज्येष्ठ 22, 1942
No. 290] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2020/JYAISTHA 22, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2020.

सा.का.नि. 371(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अपोहन चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली अपोहन चिकित्सा अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपाबंद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हताएँ आदिः-** भर्ती की पद्धति आयु-सीमा अर्हताएँ और संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
अपोहन चिकित्सा अधिकारी	05(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रु.) में स्तर 10	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी। **टिप्पणी:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पिति जिले, चम्बा जिला के पांगी उपखण्ड एवं संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी?
(7)	(8)
आवश्यक:- i. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची के अनुसार मान्यताप्राप्त एमबीबीएस की डिग्री । ii. एक वर्ष की अनिवार्य आवर्ती प्रशिक्षुता पूरी की हो। iii. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा वृक्कविज्ञान में मान्यताप्राप्त अस्पताल में डिप्लोमेट ऑफ नेश्नल बोर्ड (डीएनबी) या ऐसे चिकित्सक जिनके पास भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल के वृक्कविज्ञान विभाग में वरिष्ठ रेजिडेन्ट, वृक्कविज्ञान या अपोहन के रूप में कार्य करने का 6 महीने का अनुभव है या जिन्होने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल से वृक्कविज्ञान में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) किया है । **वांछनीय:-** डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) (कायचिकित्सा) या डिप्लोमेट ऑफ नेश्नल बोर्ड (डीएनबी) (कायचिकित्सा)	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	वह भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी - i. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष ii. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम – सदस्य iii. उप सचिव (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए.12018/01/2019/सीएचएस-VI]

गायत्री मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2020

G.S.R. 371(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dialysis Medical Officer in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement** .- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Dialysis Medical Officer (Group 'A'Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix**.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** .- No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** .- Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Dialysis Medical Officer.	05(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service. Non-Ministerial, Gazetted , Group 'A'.

Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Not applicable.	Not exceeding 35 years of age. Relaxation for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Essential: (i) Recognised MBBS degree as per the first or second Schedule of Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Completion of one year compulsory rotatory internship. (iii) Doctors with minimum six months' experience as Resident in Nephrology or Dialysis in any Medical Council of India recognised (MCI) hospital in Department of Nephrology or Diplomate of National Board (DNB) recognised hospital in Nephrology by National Board of Examination (NBE). Desirable: Doctor of Medicine (MD) (Medicine) or Diplomate of National Board (DNB) (Medicine).	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
One year.	Direct recruitment.	Not applicable.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairman; (ii) Director, Central Government Health Scheme -Member; (iii) Deputy Secretary (Central Health Service), Ministry of Health and Family Welfare -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.12018/01/2019-CHS VI]

GAYATRI MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR